F.No.4-181/2019-20/NCW(A)-192nd Meeting
National Commission for Women
Plot No. 21, Jasola Institutional Area
New Delhi 110 025.

27th May, 2019.

Sub: Minutes of the 192nd Meeting of the Commission.

The Minutes of the 192nd Meeting of the Commission held on 15th May, 2019 at 1130 hours in the Conference all of the Commission, are enclosed for information and necessary action.

Encl : as above.

27/5/19
(Priti Kumar)
Under Secretary

Copy for information to:

1. PS to CP/Members/MS/JS, NCW
2. DS, NCW
3. All Division Heads/Cell In-charges, NCW.
4. IT Cell for uploading the minutes on the website of the Commission.
5. Office Copy
6. Guard file.

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 15 मई, 2019 को 11.30 बजे पूर्वाहन में राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 192वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री सोसो साइजा	सदस्य
4. सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
5. सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
6. सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
7. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2. सुश्री ज्योति सिंघल	उप सचिव
3. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4. सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
5. सुश्री लोमा वशिष्ठ	वेतन और लेखा अधिकारी
6. श्री हसीब अहमद	विशेष रिपोर्टर
7. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक
8. सुश्री एम. लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक

आरंभ में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

वाल्यूम सं.1

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 09 अप्रैल, 2019 को आयोजित आयोग की 191वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 09 अप्रैल, 2019 को आयोजित आयोग की 191वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई द्वारा "दि राइटस ऑफ हाफ-विडोस एंड अदर डेस्टिटूट वीमेन इन जम्मू एंड कश्मीर" पर आयोजित सेमिनार के लिए 2,87,253/- रूपये के व्यय के लिए आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

आयोग ने नोट कर लिया है और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई द्वारा "दि राइटस ऑफ हाफ-विडोस एंड अदर डेस्टिटूट वीमेन इन जम्मू एंड कश्मीर" पर सेमिनार आयोजित करने के लिए 2,87,253/- रूपये के व्यय के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया। इस रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों को दी गई है और पुस्तकालय में भी इसे रख दिया गया है।

कार्यसूची मद सं. 3:

लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) द्वारा राज्य महिला आयोगों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आयोग ने नोट कर लिया है और 2019-20 के दौरान लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी के सहयोग से राज्य महिला आयोगों के लिए दो क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोग ने 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान कर दिया है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में प्रस्तावित तारीख 23 जून, 2019 से प्रथम प्रशिक्षण आरंभ होगा।

कार्यसूची मद सं. 4:

केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्र-व्यापी लिंग संवेदनशीलता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव

आयोग ने नोट कर लिया है और केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं और 12वीं के लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए एक राष्ट्र-व्यापी लिंग संवेदनशीलता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करने के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' आयोग ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। प्रथम चरण में मैट्रो शहरों, जिसमें दिल्ली भी है, यह कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 5:

महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विरचित किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पुनरीक्षण

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार महिला पुलिस अधिकारियों कें क्षमता निर्माण से संबंधित मॉड्यूल का पुनरीक्षण करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

<u>वाल्यूम II</u>

कार्यसूची मद सं. 1:

शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट- अप्रैल, 2019 में शिकायतों की स्थिति

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ की बाबत मासिक रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 2:

फा.सं. 8/15759/2018/रा.म.आ./आरएस/एनएमजी की जांच समिति की रिपोर्ट

आयोग ने विचार विमर्श किया और माननीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा की अध्यक्षता के अधीन रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 3:

फा.सं. 8/3303/2019/रा.म.आ./आरएस/एनएमजी की जांच समिति की रिपोर्ट

आयोग ने विचार विमर्श किया और माननीय सदस्य, श्रीमती चंद्रमुखी देवी की अध्यक्षता के अधीन रिपोर्ट को नोट कर लिया है। यह भी विनिश्चय किया गया कि आगे से अब जांच समिति की सिफारिशों के संबंध में विधिक संभाव्यता की दृष्टि से विचार किया जाएगा और सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले अध्यक्ष के साथ साझा किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 4:

तारीख 09.04.2019 को आयोजित आयोग की 191वीं बैठक के कार्यवृत्त पर शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख 09.04.2019 को आयोग की 191वीं बैठक के कार्यवृत्त पर शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 5:

30.04.2019 तक उपगत व्यय

कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख 30 अप्रैल, 2019 तक उपगत किए गए व्यय को आयोग ने नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 6:

कारागारों के विहित प्रोफार्मा में जानकारी का निरीक्षण/संवीक्षा करने के पश्चात् आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 7:

मनोरोग गृह का निरीक्षण करने के पश्चात् आयोग को बताई गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 8:

आयोग की पूर्व बैठकों के कार्यवृत्तों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

आयोग ने विचार विमर्श किया और आयोग की पूर्व बैठकों के कार्यवृत्तों पर विभिन्न प्रकोष्ठों की, की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट कर लिया है। आयोग की अगली बैठक में यह पीपीएमआरसी की बाबत की गई कार्रवाई रिपोर्ट को फिर से रखा जाएगा।

(मीनाक्षी गुप्ता)
सदस्य सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष, रा.म.आ.